न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 67/2017
सुनिल पुत्रा श्रीचन्द जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—आवेदक

बनाम

1. बालूराम पुत्र रतुराम
2. श्रीचन्द
3. महावीर
4. ओम प्रकाश पुत्रान बालूराम जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम गोठडा तह0 नवलगढ
5. श्री सीमेन्ट लि0 रजि0 ऑफिस बांगड नगर ब्यावर जरिये वी.के.शर्मा पुत्र जे.पी.शर्मा, एडिशनल जनरल मैनेजर (पी.एण्ड ए.)हाल कार्यालय श्रीसीममेन्ट प्लांट तहसील नवलगढ के सामने सेकसरिया डण्डा नवलगढ जिला झुन्झुनू
6. उप—पंजियक नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अं:धारा 212 रा.का.अ. व अं. आ. 39 नियम 1 व 2
तथा धारा 151 सीपीसी
निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवगांव की सरहद में भूमि खाता सं0 148 के ख.न. 114/4.74 है0 तथा भूमि खाता सं0 70 के ख.न. 9/0.63, 10/0.05, 21/1.91, 105/1.12, 250/0.05, 486/30/0.09, 530/13/0.04, 532/0.09 किता 8 कुल रकबा 3.98 है0 जिसके पुराने ख.न. 19मी. रकबा 34 बीघा 5 बिश्वा व ख.न. 140 रकबा 4 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिश्वा स्थित है, जिसे आगे प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित की जावेगी। जिसकी खातेदारी पूर्व में आवेदक प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 रतु पुत्र रूपा निवासी देवगांव के नाम हिस्सा 1/2 दर्जशुदा थी। आवेदक व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 रतु के फौत होने पर उपरोक्त वर्णित भूमि उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 8 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा चली आ रही है। आवेदक व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के पूर्वज रतुराम की वंशावली के अनुसार रतुराम के दो पुत्र बालूराम व कुरडाराम हुये। बालूराम के वारिसान में महावीर श्रीचन्द ओमप्रकाश बिमला संतोष पुत्र व पुत्री हुये जिनमें श्रीचन्द के फौत होने पर उसके वारिसान सुनिल व संदीप हैं। इसप्रकार स्व0 रतुराम के दो पुत्र बालूराम अनावेदक सं0 1 के वारिसान आवेदक व प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 7 हैं प्रतिवादी सं0 8 व 9 के हिस्से बाबत कोई विवाद नही है। उपरोक्त भूमि में आवेदक का हिस्सा 1/72 तथा प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/24, 1/24 तथा प्रतिवादी सं0 7 का हिस्सा 1/72 तथा प्रतिवादी सं0 8 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं0 9 का हिस्सा 1/2 है। इसी हिस्सेनुसार आवेदक व प्रतिवादीगण क़ाबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। लेकिन वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अनावेदक सं0 1 के नाम हिस्सा 1/4 गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है जो आवेदक तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 की पैत्रिक खातेदारी काश्त की भूमि है। जो अनावेदक सं0 1 को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। पैत्रिक सम्पति भूमि में हर पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री का जन्म के साथ ही हक हिस्सा होता है। आवेदक अनावेदक सं0 1 का पौत्र है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अनावेदक सं0 1 लगायत 4 इस गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर इस भूमि को विक्रय करने पर

आमादा है जो आपस में मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। आवेदक अपने दादा व पिता के जीवन काल में अपने हक हिस्सा को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है इसलिये आवेदक क लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ। क्योंकि अनावेदकगण सं0 1 लगायत 4 के मन में बेईमानी आ गई है जो आपस में मिलीभगत कर उकत वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है जिसके चलते अनावेदक सं0 1 को अनावेदकगण सं0 2 लगायत 4 ने अपने बहकावे में लेकर आपस में मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि ख.न. 114 में अपना हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण का विक्रय पत्र अनावेदक सं0 5 के हक में उप पंजियक कार्यालय नवलगढ के यहां तस्दीक व तकमील करवा दिया जबकि उक्त वादगस्त भूमि आवेदक व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 की खातेदार कब्जेकाश्त की पैत्रिक भूमि है तथा अनावेदक सं0 1 को अनावेदक सं0 5 के हक में विक्रय पत्र हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण भूमि का करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार नही था तथा न ही अनावेदक सं0 1 को वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा 1/24 से अधिक भूमि को विक्रय करने का अधिकार था। अनावेदक सं0 5 के हक में वादग्रस्त भूमि ख.न. 114 में 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण का विक्रय पत्र करवाने का जब आवेदक का पता चला तो आवेदक ने अपने पिता व दादा से दिनांक 10.06.17 को बातचीत तो उन्होने कहा कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अनावेदक नं. 1 के नाम था। हमने मर्जी से आपस में मिलीभगत कर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया है और इसका नामा0 भी खुल चुका है अब हम सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करेंगे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नही छोडेंगे तथा कब्जा कम्पनी वालो को करवादेंगे। वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है जिसमें आवेदक का 1/72 हिस्सा जिसका खातेदार काश्तकार आवेदक को घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा अनावेदक का हिस्सा 1/24 तथा अनावेदक सं0 2 का हिस्सा 1/72, प्रति0 3 लगायत 6 प्रत्येक को 1/24, 1/24 तथा प्रतिवादी नं. 7 को 1/72 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 8 को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी नं. 9 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व शुन्य व बेअसर करार दिये जाने विक्रय पत्र का पेश करना आवश्यक हुआ। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतूलन भी आवेदक के पक्ष में अगर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः ताफैसला दावा अनावेदकगण सं0 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खाता सं0 148 के ख.न. 114/4.74 तथा खाता सं0 70 के ख.न. 9/0.63, 10/0.05, 21/1.91, 105/1.12, 250/0.05, 486/30/0.09, 530/13/0.04, 532/0.09 किता 8 कुल रकबा 3.98 है0 वाके ग्राम देवगांव में स्थित आवेदक का हिस्सा 1/72, 1/72 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं डाले अथवा न अपने अधिनस्थ नौकर चाकर प्रतिनिधि संबंधी आदि से डलवाये। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों का विक्रय पत्र न तो स्वयं तस्दीक करवायें तथा न किसी अन्य से करवायें। अनावेदक सं0 6 को भी पाबन्द किया जावे कि अनावेदक नं. 1 व 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर न तो स्वयं तस्दीक करें अथवा न अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से तस्दीक करवायें इसीप्रकार अनावेदक सं0 7 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व या बाद में कोई दान पत्र या विक्रय पत्र बना है तो उसका नामा0 न तो स्वयं तस्दीक करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण न. 2 लगायत 4 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा वर्णित किया गया कि तथा आवेदक का यह लिखना गलत है कि आवेदक का 1/72 हिस्सा है बल्कि उक्त आराजी से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नही है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है कि आवेदक का 1/72 हिस्सा किस प्रकार है से व कौनसे कानून के तहत है। उक्त सम्पति रतुराम की स्वर्जित सम्पति थी स्व0 रतुराम का स्वर्गवास करीब 30 वर्ष पूर्व में हुआ था अर्थात रतुराम का स्वर्गवास हिन्दू उतराधिका अधिनियम के लागू होने के पश्चात हुआ है। स्व0 रतुराम के स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त सम्पति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार रतुराम के विधिक वारिस बालूराम व कुरडाराम में न्यायगत हुई। उक्त सम्पति बालूराम की सहदायी सम्पति नही होकर विरासतन सम्पति है जिसका आवेदक से कोई संबंध सरोकार नही है। आवेदक का उक्त सम्पति में कोई हक हिस्सा नही है। अनावेदक नं. 1 भूमि ख.न. 114/4.74 ह0 के 1/4 हिस्से का रिकार्डेड

खातेदार काश्तकार है जो अनावेदक नं. 1 को विरासतन प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में समस्त हक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त थे, व अनावेदक नं. 1 ने अपने अधिकारों के अधीन रहते हुये उक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। आवेदक न तो वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है और ना ही कानूनन वादग्रस्त आराजी मे आवेदक का कोई हक हिस्सा है इसलिये आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है और ना ही आवेदक के पक्ष मे सुविधा का संतुलन है इसलिये आवेदक को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नही है। इसलिये आवेदक प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अनावेदक नं. 5 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र तथ्य अस्वीकार किये गये तथा वर्णित किया गया कि भूमि ख.नः 114 रकबा 4.74 है0 में 1/4 हिस्सा बालूराम का था यानि बालूराम 1/4 हिस्से व हक की भूमि के खातेदार काश्तकार था जिसने दिनांक 19.08.2011 को अपना 1/4 हिस्सा जबाबदेहन्दा को इकीस लाख रूपये में विक्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जिस पर बाद खरीद केता काबिज तथा मौके की जांच के बाद राजस्व रिकार्ड जरिये नामा0 जबाबदेहन्दा के नाम दर्ज हो गया। इसप्रकार केता बाद खरीद 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है काबिज है इसलिये आवेदक को कोई नुकसान होने का सवाल ही पैदा नही होता है जबाबदेहन्दा ने पूर्ण प्रतिफल देकर विक्रय पत्र तस्दीक करवा कर कब्जा प्राप्त किया है इसलिये उसे पाबन्द करने सवाल ही नही है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे ।

उक्त संबंध में दिनांक 18.12.2018 को अनावेदक नं. 4 जरिये वकील द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अबेट करने दावा का पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि प्रतिवादी नं. 1 बालूराम दिनांक 07.08.2018 को फौत हो गया है। किसी भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही जारी नही रह सकती है। निर्धारित अवधि में मृतक वादी के वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही करना आवश्यक होता है। परन्तु वादी ने आज तक कायम मुकाम रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नही की है। इसलिये उक्त वाद खारिज किया जाना आवश्यक है। वकील वादी द्वारा इस संबंध में कोई उजर पेश नही करने से प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध दावा अवेट किया जा चुका है इसी आधार पर अनावेदक नं. 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अवेट किया जाता है। चूंकि अनावेदक की मृत्यु हो चुकी है तथा आवेदक द्वारा आवेदक नं. 1 के विरूद्ध अपना हक हिस्से हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि आवेदक द्वारा अपने हक हिस्से हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम देवगांव संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 9/0.63, 10/0.05, 21/1.91, 105/1.12, 250/0.05, 486/30/0.09, 530/13/0.04, 532/0.09 किता 8 कुल रकबा 3.98 है0 की खातेदारी बालूराम कुरडाराम पि0 रतुराम हि0 1/2 भोपाल पुत्र भूरा हि0 1/2 कौम जोट सा.देह खातेदार राहिन कुरडा हि0 1/4 एसबीबीजे नवलगढ मूर्तहीन राहिन भोपाल पुत्र भूरा हि0 1/2 राज. ग्रा.बैंक शाखा झाझड मूर्तहीन राहिन बालूराम पुत्र रतुराम हि0 1/4 एसबीआई शाखा नवलगढ। नामा0सं0 464 नि.दि. 14.09.2012 रहननामा प्यारेलाल पुत्र भूराराम हि0 1/9 बीओआई शाखा बसावा मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमाबंदी के खाता सं0 148 के ख.न. 114 रकबा 4.74 है0 की खातेदारी श्रीसीमेन्ट लि. रजि0 आफिस बांगड नगर ब्यावर जरिये बी.के.शर्मा पुप. जे.पी.शर्मा एडिशनल जनरल मैनेजर (पी.एण्ड.ए.) हि0 1/4 कुरडाराम पि. रतुराम हि. 1/4 भोपाल पुत्र भूरा हि0 1/2 कौम जाट सा.दे.खातेदार राहिन कुरडा हि. 1/4 एसबीबीजे नवलगढ मूर्तहीन राहिन भोपाल पुत्र भूरा हि0 1/2 राज.ग्रा.बैंक शाखा झाझड मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्चतमक न्यायालय के कमीशनर आफ वेल्द टेक्सेसन बनाम चन्द्रसेन आदि निर्णय दिनांक 16.07.1986, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय मास्टर गोर्व सकिरी व अन्य बनाम कौशल्या सिकरी आदि निर्णय दिनांक 24.09.2007 आदि नजीरें पेश की गई। अतः प्रस्तुत नजीरें व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– आवेदक द्वारा ग्राम देवगांव में स्थित भूमि ख.न. 114/4.74 तथा ख.न. 9/0.63, 10/0.05, 21/1.91, 105/1.12, 250/0.05, 486/30/0.09, 530/13/0.04, 532/0.09 किता 8 कुल रकबा 3.98 है0 में अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 को आवेदक के हक हिस्सा के कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न डालने तथा प्रतिवादी नं. 6 व 7 द्वारा अना0 नं. 1 लगायत 5 द्वारा वादग्रस्त भूमियो के विक्रय, हस्तानान्तरण आदि के विक्रय पत्र या किसी प्रकार के दस्तावेजात तस्दीक नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ चाही गई है। इस बाबत पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि ख.न. 114 रकबा 4.74है0 भूमि का विक्रय हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम से दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज रिकार्ड नही होने तथा किसी प्रकार के कब्जा काश्त होना प्रमाणित होने संबंधी कोई दस्तावेजात आदि प्रस्तुत नही करने से आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक का होना नही पाया गया है।
2. सुविधा का संतुल व अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड आवेदक के नाम नही होने से सुविधा का संतुलन आवेदक का नही है अतः आवेदक को कोई अपूर्णीय क्षति नही हो रही है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 23.06.2017 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुंनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़